

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पुनर्मा (२१/०७) MS का ४ (११/०७)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

18.1.23

जवाब (पत्र) को ३३/ प्रत्येक कर्मचारी

उपरोक्त प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं

पाए बिना कले प्रमाण प्रस्तुत

किया आदेश का पालना कल बिना

प्रार्थी के प्रकरण सिद्ध करने के

कारण ही समाप्त की जाती है किंतु

सुभाल हाके का ३३/ तमिल दालिद

दफतर है उपखण्ड अधिकारी

पुनर्मा